क्विक बाइट्स

मतदाता सूची में नाम हटाने का आरोप, आक्रोश

ओरमांझी. कुटे गांव में एसआईआर के दौरान करीब 500 मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास के आरोप को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने पूर्व उप प्रमुख मुंतजीर अहमद रजा के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर विरोध जताया. ग्रामीणों ने बीडीओ कामेश्वर बेदिया को ज्ञापन सौंप कर निष्पक्ष जांच की मांग की. ज्ञापन में फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप लगाया गया. बीडीओ ने कहा कि सभी आपत्तियों की पारदर्शी जांच होगी और पात्र मतदाताओं के नाम नियमों के विपरीत नहीं हटाये जायेंगे. ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

अधिकारियों ने टुंडाहुली पंचायत का दौरा किया

ओरमांझी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनिटर उमाकांत, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पद्मनाभ रंजन और पीपी एक्सपर्ट आदित्य रंजन ने सोमवार को टुंडाहुली पंचायत का दौरा किया. अधिकारियों ने विकास योजनाओं, ग्रामीण सेवाओं और जनकल्याणकारी कार्यों की समीक्षा की. जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों से संवाद कर सुझाव लिये और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिये. मौके पर मुखिया रमेश बेदिया सहित पंचायत सचिव, वार्ड सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्रामीण मौजूद थे.

नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया

मेसरा. नेवरी गांव में इस्लाह ए मुआशरा कमेटी व ग्रामीणों ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया. मस्जिदे अबू बकर से निकली रैली कुम्हार टोली, बनटोली, रिंग रोड गोलंबर और नेवरी चौक होते हुए ब्राइट फ्यूचर स्कूल के समीप पहुंची. लोगों ने बैनर-तख्तियां लेकर नशे के खिलाफ नारे लगाये. वक्ताओं ने कहा कि नशा परिवार और समाज के लिए घातक है. युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार और समाज निर्माण में योगदान देने की अपील की गयी.

फेफड़ा प्रत्यारोपण के लिए मदद की गुहार

ओरमांझी. सुधांशु राज (23) के पिता सुनील कुमार गुप्ता ने बेटे के इलाज के लिए समाज से मदद की अपील की है. बताया कि सुधांशु छह वर्ष की उम्र से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित है. डॉक्टरों के अनुसार उसके दोनों फेफड़े लगभग खराब हो चुके हैं और वह 24 घंटे कृत्रिम ऑक्सीजन पर है. चिकित्सकों ने जल्द फेफड़ा प्रत्यारोपण की सलाह दी है, जिसमें करीब 80 लाख रुपये खर्च होंगे. पिता ने जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से सहयोग की अपील की है.

डीएवी हेहल के पास से बुलेट बाइक चोरी

रातू. अरगोड़ा थाना क्षेत्र के डोमन नगर, चापुटोली निवासी बैजनाथ प्रजापति की रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक (जेएच 01एवी 1974) चोरी हो गयी. घटना 16 सितंबर की बतायी गयी है. बैजनाथ अपनी बेटी को लेने डीएवी हेहल स्कूल गये थे और बाइक स्कूल गेट से कुछ दूरी पर खड़ी की थी. लौटने पर बाइक गायब मिली. काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चला. उन्होंने रातू थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.

चुट्टू में अंजुमन कमेटी का गठन

मेसरा. चुट्टू गांव में बैठक कर अंजुमन कमेटी और सरपरस्त सदस्यों का गठन किया गया. अनवारूल अंसारी को सदर, जहांगीर अंसारी को सचिव, मजनू अंसारी को खजांची, इम्तियाज अंसारी को उप सदर, सऊद अंसारी को उप सचिव और हाजी मुस्तफा अंसारी को उप खजांची चुना गया. सरपरस्त सदस्यों में हाजी जबुल अंसारी, हाजी हयात अंसारी, जावेद अख्तर अंसारी समेत अन्य शामिल किये गये.

युवाओं ने श्रमदान कर सफाई की, अतिक्रमण हटाया

मेसरा. युवा जनशक्ति संगठन, सुगनू के सदस्यों ने सोमवार को श्रमदान कर गांव में सफाई अभियान चलाया और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाये. अध्यक्ष रोहित कुमार साहू ने बताया कि दुर्गा पूजा से पूर्व गांव को गंदगी और अतिक्रमण मुक्त बनाने का लक्ष्य है. अभियान के दौरान कई टोला में जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से अतिक्रमण हटाया गया.

अनूप वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए क्वालिफाई

मांडर. मदर्स इंटरनेशनल स्कूल जाहेर ब्राम्बे के दसवीं कक्षा के छात्र अनूप कुमार ने 45 किग्रा ग्रीको-रोमन वर्ग में आइएसएफयू 18 वर्ल्ड स्कूल गेम्स (जिम्नासियाड), ब्राजील के लिए क्वालिफाई किया. छत्तीसगढ़ के रायपुर में 19 से 21 सितंबर तक आयोजित चयन ट्रायल में उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनायी. वहीं, छात्रा प्रियंका कुमारी ने 40 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र की पहलवान से कड़े मुकाबले के बाद दूसरा स्थान हासिल किया. प्राचार्या डॉ रोमि झा, निदेशक अंबुज झा ने शुभकामनाएं दीं.

मारपीट और चोरी के आरोप में दो पर केस

रातू. नवासोसो रेस्टोरेंट में गाली-गलौज, मारपीट, रास्ता रोकने, जबरन प्रवेश और चोरी के आरोप में नंदन वर्मा व विक्की वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पुलिस के अनुसार, जयप्रकाश नगर पहाड़ी टोली निवासी सूरज कुमार लोहरा के न्यायालय परिवाद पर मामला दर्ज हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

ग्रामीणों के साथ मांदर की थाप पर झूमीं कृषि मंत्री

करम पूर्व संध्या पर झारखंडी संस्कृति के रंग में रंगा पूरा क्षेत्र

प्रभात खबर टोली

कार्यक्रम के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की व अन्य.

करम पर्व की पूर्व संध्या पर सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये गये. चान्हो के सरना बाल विकास उच्च विद्यालय पोड़ाटोली में सरना समिति की ओर से आयोजित समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मांदर और नगाड़े की थाप पर झूमीं. उन्होंने कहा कि करम केवल पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा, संस्कृति और सामुदायिक एकता से जुड़ने का अवसर है. उन्होंने कहा कि त्योहार समाज को एकजुट करने और सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम हैं. समारोह में शामिल 36 खोड़हा दलों के बीच मांदर व नगाड़े वितरित किये.

लापुंग के आदिवासी केंद्रीय सरना आश्रम सरसा में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मौजूदगी में करम डाली की पूजा-अर्चना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ. विभिन्न गांवों की नृत्य मंडलियों ने पारंपरिक करम गीतों पर प्रस्तुति दी. मुंडारी टीम खुंटी को प्रथम, देवगांव की नृत्य मंडली को द्वितीय और नवाटोली की खोड़हा टीम को तृतीय पुरस्कार मिला. पहान-पुजार और अतिथियों को भी सम्मानित किया गया. अनगड़ा के आरटीसी पब्लिक स्कूल और जशपुरिया बीएड कॉलेज परिसर में करम महोत्सव मनाया गया. जशपुरिया बीएड कॉलेज में संस्था अध्यक्ष जैलेन्द्र कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि करम पर्व भावी पीढ़ी को अपनी जड़ों, प्रकृति और लोकसंस्कृति से जोड़ता है. आरटीसी स्कूल में पाहन ने पारंपरिक विधि से करम देव की पूजा करायी और व्रतधारी छात्राओं ने अर्घ्य दिया. छात्राओं के बीच पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता भी हुई.

मेसरा के उदय मेमोरियल बीएड कॉलेज, केदल में प्रशिक्षुओं ने करम गीतों और मांदर की थाप पर नृत्य प्रस्तुत किया. आरटीसी पब्लिक स्कूल केंदल में करम डाली की पूजा के बाद विद्यार्थियों ने झूमर नृत्य किया. वहीं चान्हो के बाघवार एकेडमी में विद्यार्थियों ने नाटक के माध्यम से करम पर्व की परंपरा, पूजा-विधि और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया.

Govt. of Jharkhand
Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board
Science & Technology Campus, Sirkha Toli, Namkum-Tupudana Road, Namkum, Ranchi – 834010
Website : https://jceceb.jharkhand.gov.in e-mail : jceceboard@gmail.com

Advt. No. :–JCECEB/46/26- 87 ,Ranchi/Dated: 21/09/2026

Important Notice regarding correction in State Merit List Based on NEET (UG)-2026 Result

It is hereby informed to all concerned candidates that the Board has earlier published Advertisement No. JCECEB/46/26-47 dated 06.08.2026 for preparation of the State Merit List for conducting the 1st,2nd,3rd and Stray Vacancy rounds of online counselling for admission in State Quota seats in M.B.B.S., B.D.S. & B.H.M.S. courses. However, the Board has received representation from some candidates seeking an opportunity for making correction in category and other particulars.

Accordingly, it is being clarified that only those representations which are submitted in accordance with the provisions of clause 7 mentioned in the said advertisement will be considered. Furthermore, ST/SC/ BCI(NCL)/BCII(NCL)/I&A (for EWS) certificates issued by an Officer not below the level of Sub-divisional Officer–(Civil) of the Jharkhand State will only be accepted.

In this regard, all candidates whose names are included in the State Merit Lists published on 07.09.2026 are hereby directed to submit a fresh application from 22.09.2026 to 23.09.2026 at 6:00 PM, clearly mentioning the required correction(s), along with the requisite supporting documents, via e-mail at controller.jceceb@gmail.com. No request received after the stipulated date & time or without the requisite supporting documents shall be entertained under any circumstances. The applications received will be scrutinised and appropriate action will be taken by the Board.

2. The advertisement no. JCECEB/46/26-47 dated-06.08.2026 published in daily news paper and uploaded on the Board's website can be seen under "Important Notice" Column.

Sd/-
(Controller of Examination)

PR.NO.390307 Jharkhand Combined Entrance Competitive Examination Board(26-27):D

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

प्रशिक्षित सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) तृतीय आकलन परीक्षा, 2026 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञप्ति संख्या – 61/2026

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 16/य. 1–04/2022–238 दिनांक 14.02.2022 तथा 2504 दिनांक 28.09.2022 द्वारा वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक), जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण नहीं हैं, के मानदेय में वृद्धि करने हेतु आकलन परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को अधिकृत किया गया है। उक्त अधिसूचना एवं राज्य परियोजन निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक 979 दिनांक 27.02.2026 के आलोक में तृतीय आकलन परीक्षा, 2026 का आयोजन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश एवं कार्यक्रम निम्नवत् है :–

- ❖ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 16/य.1–04/2022–238 दिनांक 14.02.2022 तथा 2504 दिनांक 28.09.2022 में वर्णित शर्तों के अधीन सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) आकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
- ❖ परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 25.09.2026 से 15.10.2026 तक परिषद् के वेबसाइट **www.jac.jharkhand.gov.in** के माध्यम ऑनलाइन भरा जाएगा।
- ❖ परीक्षा शुल्क
  - ➢ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए– 500/– रुपये
  - ➢ अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए –750/– रुपये
- ❖ परीक्षा शुल्क की राशि ऑनलाइन Payment Gateway के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। शुल्क की राशि जमा नहीं किए जाने की स्थिति में प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- ❖ प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जायेगी।
- ❖ ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय विषयों के चयन में पूरी सावधानी बरतें। त्रुटि होने की स्थिति में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा और न ही किसी अभ्यावेदन पर विचार किया जा सकेगा।

JAC/Gop/2849/22-Secy/884/26
Dated – 19.09.2026

अध्यक्ष के आदेश से,
ह0/–सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,राँची

PR 390239 (Jharkhand Academic Council)26-27*D

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक
Punjab National Bank ...the name you can BANK upon !

ARMB, राँची (पता: एस. एन. गांगुली रोड, राधेश्याम लेन, रांची, जिला – राँची, झारखंड – 834001 | फोन : 7300705205, ई-मेल: cs6794@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम खाता का नाम उधारकर्त्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मुल्य (रू0 लाख में) B) इएमडी C) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	**शाखा कायार्लय : सिंह मोड़, रांची** (216810) **मेसर्स लालजी ज्योति प्रा. लि.** ज्योति कुंज, हजाम, नामकुम, थाना-नामकुम, रांची, राज्य-झारखंड, पिन कोड-835221 **श्री लालजी प्रसाद (दिवंगत), पिता श्री हरि प्रसाद एवं श्रीमती ज्योति देवी, पति श्री ललजी प्रसाद**, फ्लैट नं. 8-बी, 8वीं मंजिल, रामसखी टॉवर, टुपुदाना, हटिया - 834003	फ्लैट संख्या 8-B, आठवीं मंजिल पर स्थित, जिसका सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1290 वर्गफुट है, बहुमंजिला आवासीय भवन **"रामसखी टॉवर"** का संपूर्ण भाग एवं अंश, जो खाता संख्या 63, प्लॉट संख्या 623, क्षेत्रफल 75.97 डिसमिल, स्थित टुपुदाना, थाना-रांची, वर्तमान थाना-जगरनाथपुर, थाना संख्या 267, वार्ड संख्या 55, जिला-रांची की भूमि पर निर्मित है। उक्त फ्लैट के साथ भूमि में 435.6 वर्गफुट का अविभाजित हिस्सा तथा बेसमेंट में एक कार पार्किंग स्थान भी सम्मिलित है, साथ ही सामान्य रास्ता, लॉबी, सीढ़ियां, लिफ्ट, जनरेटर, परिसर एवं छत के सामान्य उपयोग एवं उपभोग का अधिकार है। उक्त संपत्ति बिक्री विलेख संख्या 4258/5122 दिनांक 27.07.2015 के अनुसार श्री लालजी प्रसाद (दिवंगत), पिता श्री हरि प्रसाद एवं श्रीमती ज्योति देवी, पति श्री लालजी प्रसाद के नाम पर है। **संपत्ति की सीमाएं :** उत्तर: सीढ़ियां एवं कॉरिडोर, दक्षिण: खुला स्थान, पूर्व: डक्ट एवं लिफ्ट, पश्चिम: खुला स्थान	A) 03.02.2025 B) Rs. 70,49,367.81 + further interest C) 09.09.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 42,78,500.00 B) Rs. 4,27,850.00 C) Rs 1,00,000.00	06.10.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **06.10.2026 को अपराह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 05.10.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

तिथि : 16.09.2026
स्थान : राँची

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता

---

23 को बुंडू बंद स्थगित

बुंडू. नगर पंचायत की जनसमस्याओं को लेकर आहूत 23 सितंबर को बुंडू बंद सोमवार को अनुमंडल कार्यालय में बैठक वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया. एसडीओ मोहनलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएसपी ओम प्रकाश, नगर पंचायत प्रशासक शुभम पोद्दार, सीओ हंस कुमार हेंब्रोम और थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. नगर पंचायत प्रशासक ने 15 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया. सामाजिक संगठनों ने 23 सितंबर का बुंडू बंद स्थगित कर दिया.

चार लोगों पर केस

रातू. हुरहुरी में धोखाधड़ी व विश्वासघात के आरोप में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. धनबाद निवासी नागेंद्र कुमार चौधरी के न्यायालय परिवाद पर रातू थाना में मामला दर्ज हकिया गया है.

चोरों ने काटा हाइ टेंशन टावर, सड़क जाम

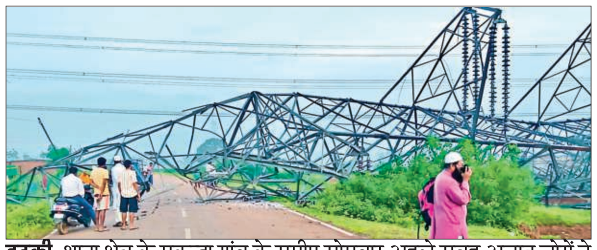

इटकी. थाना क्षेत्र के मकुन्दा गांव के समीप सोमवार अहले सुबह अज्ञात चोरों ने हाइटेंशन टावर के निचले हिस्से को गैस कटर से काट दिया. टावर इटकी-चनगनी सड़क के बीच गिर गया, जिससे सुबह करीब चार से सात बजे तक आवागमन बाधित रहा. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. बताया गया कि चोर टावर में लगे लोहे के एंगल चोरी करने के उद्देश्य से उसे काटकर गिराया था, लेकिन एंगल ले जाने में सफल नहीं हुए. टावर गिरने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही रुक गयी और राहगीरों को परेशानी हुई.

ऑटो पलटने से किशोर की मौत, चार घायल

अनगड़ा. सिकिदिरी थाना क्षेत्र के जोन्हा-पुरबडीह मार्ग स्थित सुरसू घाटी में रविवार शाम अनियंत्रित ऑटो पलटने से 14 वर्षीय समीर मुंडा की मौके पर मौत हो गयी, जबकि प्रीति देवी समेत चार लोग घायल हो गये. सभी सिल्ली थाना क्षेत्र के जुमला गांव के निवासी हैं. ग्रामीणों ने घायलों को मुरी के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने समीर को मृत घोषित किया. प्रीति देवी को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कार्यालय: राँची नगर निगम
(बाजार शाखा) कचहरी रोड, रांची, पिन – 834001
e-mail :- support@ranchimunicipal.com

पत्रांक :– 1039 **आम सूचना** दिनांक :– 21–09–2026

विषय :– राँची नगर निगम के वार्ड संख्या 04 अंतर्गत प्लॉट संख्या –1610, रकबा 193 कड़ी पर पूर्व में आवंटित दुकानों से संबंधित आवंटन अभिलेखों दस्तावेजों के सत्यापन के संबंध में।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राँची नगर निगम, वार्ड संख्या 04 अंतर्गत प्लॉट संख्या MS –1610, रकबा 193 कड़ी पर जिन दुकानदारों को वैध तरीके से दुकानों का आवंटन किया गया है, वैसे सभी दुकानदार अपने दस्तावेज/कागजात के साथ **दिनांक 24–09–2026 को पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 4:00 बजे तक निगम सभागार, प्रथम तल**, रांची नगर निगम में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

कागजातों के मिलान के उपरांत वैधता सुनिश्चित की जाएगी। वैधता नहीं पाये जाने पर अथवा उपस्थित नहीं होने पर यह माना जाएगा कि किसी प्रकार का दुकान से संबंधित दावा अनुचित/अवैध होगा। उक्त के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जनोपयोगी कार्य निगम अपने स्वामित्व भूमि पर करेगा।

ह0/–
नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम, रांची

PR 390311 (Ranchi Municipal Corporation)26-27*D

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
Relationship beyond banking

आस्ति वसूली शाखा, रांची
गुड बुक्स बिल्डिंग, प्रथम तल, रोशपा टॉवर के पास, मेन रोड, रांची – 834001

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, **बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली शाखा, रांची** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा धारा 13(12) के साथ पठित सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता **मेसर्स परफेक्ट विज़न (प्रोपराइटरशिप फर्म), जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रोपराइटर श्री धीरेन्द्र प्रसाद, पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद** हैं, को **दिनांक 05-08-2025** की मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उक्त सूचना में उल्लिखित राशि **₹62,31,605.17 (बासठ लाख इकतीस हजार छह सौ पाँच रुपये और सत्रह पैसे)** + 31-03-2021 से अप्रभारित ब्याज एवं अन्य खर्चों का भुगतान करने हेतु उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा उधारकर्ता एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक **17 सितंबर 2026** को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता विशेष रूप से तथा आम जनता सामान्य रूप से एतद्द्वारा सावधान की जाती है कि उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें तथा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली शाखा-रांची** के पक्ष में **₹62,31,605.17 (बासठ लाख इकतीस हजार छह सौ पाँच रुपये और सत्रह पैसे)** तथा उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चों की राशि के लिए भार/प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो प्रतिभूत आस्तियों को मोचन (Redeem) करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

ग्राम/मौजा – सुगनू, शीट नं.-02, थाना – सदर, खाता नं.-34, आर.एस. प्लॉट नं.-2946, सब-प्लॉट नं.-2946/2, थाना नं.-170, जिला – रांची में स्थित भूमि संपत्ति का समतुल्य बंधक (EQM), जिसके स्वामी श्री धीरेन्द्र प्रसाद, पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद, पिता स्वर्गीय ईश्वर प्रसाद शर्मा हैं। भूमि का क्षेत्रफल 10 डिसमिल है, जो सेल डीड नं.-9291/8098 दिनांक 29-05-2009 के माध्यम से है। **सीमाएँ :** उत्तर: कुबेर – प्लॉट नं. 2946/भाग दक्षिण: आर.एस. प्लॉट नं. 2943, पूर्व: आर.एस. प्लॉट नं. 2924, पश्चिम: 15 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क

ह०/- मुख्य प्रबंधक सह प्राधिकृत अधिकारी
आस्ति वसूली शाखा, रांची

दिनांक: 17.09.2026

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य है।

सत्यमेव जयते
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
Government of India

क्षमता निर्माण निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई – 400056
दूरभाष: 022-26714320, ई-मेल: cb.kvic@gov.in
वेबसाइट: www.kvic.gov.in

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु रुचि की अभिव्यक्ति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पात्र एवं इच्छुक कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय दिनांक 06/10/2026 को शाम 5:00 बजे है।

इच्छुक और पात्र आवेदक अपने प्रस्ताव केवीआईसी के संबंधित राज्य अथवा मंडलीय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ईओआई दस्तावेज़ जिसमें पात्रता मानदंड, सहायता का पैटर्न, पाठ्यक्रमों की सूची आदि के विवरण शामिल हैं, इसे केवीआईसी की वेबसाइट https://www.kvic.gov.in/kvicres/tender.php से डाउनलोड किया जा सकता है। किसी भी जानकारी अथवा पूछताछ के लिए कृपया निदेशक (क्षमता निर्माण) cb.kvic@gov.in को ईमेल करें।

निदेशक (क्षमता निर्माण)

झारखण्ड सरकार
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान,राँची – 834008

दूरभाष–0651–2551824, E-mail- tri.directorate@gmail.com/ **www.trijharkhand.in**

पत्रांक– 1141 राँची, **नामांकन सूचना** दिनांक: 21.09.2026

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक वर्श 2026–27 के लिए **TribeX 1- year hybrid Post Graduate Diploma Programme** में नामांकन हेतु निम्न पाँच पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित है–

1. Tribal Language: Santali (Ol Chiki)
2. Museology and Tribal Museum Management
3. Tribal Culture and Arts
4. Sustainable Tribal Culture-Based Livelihood Practices
5. Tribal Textiles

पात्रता मापदंड– भौक्षणिक योग्यताएँ:–

- ➢ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विशय में स्नातक की डिग्री (10+2+3) होना अनिवार्य है।
- ➢ प्रत्येक पाठ्यक्रम/बैच हेतु कुल 25 छात्रों के लिए सीट निर्धारित है, जिस पर नामांकन "First come first serve" के आधार पर होगा।

विशेषताएँ–

- ➢ हाईब्रिड लर्निंग मॉडलः यह 1 वर्शीय (40 क्रेडिट, 2 सेमेस्टर) पाठ्यक्रम है, जिसमें दूसरे सेमेस्टर में 1 महीने का अनिवार्य व्यवहारिक इंटर्नशिप/प्रशिक्षण शामिल है।
- ➢ विश्वविद्यालय संबद्वताः यह पाठ्यक्रम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय (SSVV) वाराणसी से संबद्व है और यूजीसी (UGC)के मानकों के सर्वथा अनुरूप है।
- ➢ सफल समापन पर प्लेसमेंट सहायता मिलेगा।
- ➢ प्रमाण पत्रः सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने पर विश्वविद्यालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त डिजिटल पीजी डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

नामांकन शुल्क संरचना– ➢ प्रत्येक पाठ्यक्रम का शुल्क रू0 7,500/– है (जो सेमेस्टर की किस्तों में देय है : पहले सेमेस्टर में प्रवेश के लिये रू0 2,500, दूसरे सेमेस्टर के लिये रू0 4,500/– और परीक्षा शुल्क 500/–शामिल है) साथ ही एक बार का SAMARTH पोर्टल शुल्क रू0 200/– अलग से देय होगा।

अनुसूचित जनजाति (ST) छात्रों के लिए विशेष लाभ– ➢ जो शुल्क जमा करने में सक्षम नहीं हैं वैसे अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों द्वारा जमा किये गये नामांकन (admission) शुल्क का प्रतिपूर्ति TRI द्वारा किया जायेगा।

महत्वूपर्ण जानकारी– ➢ ऑनलाईन आवेदन पोर्टल–इच्छुक उम्मीदवार SSVV SAMARTH Portal (ssvvadm.samarth. edu.in) या TribeX पोर्टल (https://tribexdigital.org.in/) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

- ➢ **आवेदन की अंतिम तिथि 25.09.2026 निर्धारित है।**
- ➢ **विस्तृत जानकारी संस्थान के वेबसाईट www.trijharkhand.in पर उपलब्ध है।**

ह0/–
उप निदेशक

PR 390269 (Schedule Tribe, Schedule Caste, Minority and Backward Class Welfare Department)26-27*D